International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED), ISSN: 2320-8708
Vol. 1, Issue 4, May-June, 2013, pp: (45-47), Available online at: www.erpublications.com

हिन्दी के व्यावहारिक और मानक रूपों की सीमा और सम्भावनाएँ

डॉ. अशोक कुमार गुप्ता

व्याख्याता–हिन्दी, एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

ABSTRACT

हिंदी भाषा का व्यावहारिक और मानक रूप है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ एवं संभावनाएँ भी हैं। यह भाषा राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले भिन्न–भिन्न भाषा – भाषियों द्वारा पारस्परिक विचार विनिमय और पत्र व्यवहार का साधन है। यह समस्त राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँधे हुए है, इसीलिए यह राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी भी है। इसका व्यावहारिक रूप आम बोलचाल में लिखना,उच्चारण करना तथा पढ़ना है तो इसका मानक रूप 'हिंदी स्टैण्डर्ड लैंग्वेज' के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक,साहित्यिक विद्वानों का संरक्षण तथा पत्र–पत्रिकाओं एवं अनेक संस्थाओं का सहयोग इसे प्राप्त है। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिंदी में लिपि, वर्तनी और अंकों का स्वरूप आदि विषयों में एकरूपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अनेक स्तरों परप्रयास किये हैं। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने अपने प्रयासों से देवनागरी लिपि का मानक रूप तैयार किया है लेकिन आज भी हिंदी की व्यावहारिक स्थिति मानक रूप से कहीं–कहीं भिन्न दिखाई देती है। यह अन्तर वर्णों की बनावट, उच्चारण तथा लेखन के अंतर में हम देख सकते हैं।

INTRODUCTION

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इस नाते उसे आपस में सर्वदा विचार–विनिमय करना पड़ता है। विचार विनिमय विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। जैसा कि भोलानाथ तिवारी 'भाषा विज्ञान' में लिखते हैं–''कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आपको प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण–पत्र छपवाये जाते हैं तो देहात के अनपढ़ और निम्न वर्ग में निमंत्रित करने के लिए हल्दी, सुपारी या इलायची बाँटना पर्याप्त समझा जाता रहा है। रेलवे गार्ड और रेल–चालक का विचार विनिमय झंडियों से होता है तो बिहारी के पात्र 'भरे भवन में करते हैं नैनन ही सों बात।' चोर अंधेरे में एक दूसरे का हाथ छूकर या दबाकर अपने आपको प्रकट कर लिया करते हैं। इसी तरह हाथ से संकेत, करतल ध्वनि, आँख टेढ़ी करना, मारना या दबाना, खाँसना, मुँह बिचकाना तथा गहरी सांस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार विनिमय का काम चलता है।" भाषा शब्दों और वाक्यों से विचार–विनिमय करती है। हमारी भी अपनी एक भाषा है और वह है हिन्दी। यह भाषा राष्ट्र के विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों द्वारा पारस्परिक विचार–विनिमय और पत्र–व्यवहार का साधन बनती जा रही है तथा समस्त राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँधे हुए है। यही कारण है कि यह भाषा वर्तमान में राष्ट्रभाषा का स्थान लेने जा रही है। भारत के संविधान में भी हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है साथ ही कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी हिन्दी को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी है। प्रश्न उठता है कि हिन्दी का मानक रूप क्या हो तथा इसकी सीमा और सम्भावनाएँ क्या हो? क्या मानक रूप निर्धारित करने के उपरान्त भी इसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार–विमर्श आवश्यक है? इन प्रश्नों का उत्तर हाँ ही है। इनका विस्तृत विवेचन निम्नांकित है–

हिन्दी का व्यावहारिक और मानक रूप

व्यावहारिक से तात्पर्य है व्यवहार में आना और मानक से तात्पर्य है मानदंड अर्थात राजनीतिक, साहित्यिक विद्वानों का संरक्षण तथा पत्र–पत्रिकाओं एवं संस्थाओं का सहयोग मिलना। व्यावहारिक हिन्दी, जो आम बोलचाल में लिखते, उच्चारण करते तथा पढ़ते हैं तो मानक हिन्दी स्टैंडर्ड लैंगवेज के रूप में जानी जाती है। विभिन्न स्तरों को पार करके बोली भी विभाषा का रूप ग्रहण करके मानक भाषा बन जाती है। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी में लिपि, वर्तनी और अंको का स्वरूप आदि विषयों में एकरूपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विविध स्तरों पर अनेक प्रयास किया। सन् 1966 में शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की । इसके अनुसार देवनागरी के जो वर्ण एक से अधिक रूपों में लिखे जाते थे, उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ण का एक ही मानक रूप निर्धारित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने अपने प्रयासों से 'देवनागरी लिपि' का मानक स्वरूप भले ही तैयार कर लिया हो लेकिन आज भी हिन्दी की व्यावहारिक स्थिति मानक रूप से कहीं–कहीं भिन्न दिखाई देती है। यह अन्तर वर्णों की बनावट उच्चारण तथा लेखन के अन्तर में द्रष्टव्य है। यथा–संयुक्त अक्षर 'क्ष' और 'ज्ञ' वर्णों में देख सकते हैं। 'क्ष' का उच्चारण व्यवहार में 'छय' तो मानक रूप में क्+ष के योग से 'क्ष' होगा। इसी तरह 'ज्ञ' के उच्चारण व्यवहार में 'ग्य' तो मानक रूप में ज्+ञ के योग से 'ज्ञ' बनेगा। इसी भाँति लिखित शब्दों के मानक रूप 'आज' 'कल' 'चलता' 'पकता' आदि हैं तो इन शब्दों का व्यावहारिक रूप जिनका उच्चारण 'आज्' 'कल्' 'चल्ता' 'पक्ता' किया जाता है। इसी भाँति वर्णों की बनावट में मानक रूप कुछ और हैं तो लिखते कुछ और हैं। जैसे– ख, ण, के स्थान पर रव, रा लिखते हैं जिससे अर्थ परिवर्तन की सम्भावनाएँ बन जाती है। जैसे–'रवड़ी' उक्त शब्द को खड़ी (खड़े होने के अर्थ में) के अर्थ में पढ़े या रवड़ी (दूध से बना पदार्थ) के अर्थ में। इसी तरह 'घरनी' 'धरनी' शब्द में 'घ' 'ध' वर्ण के अन्तर से अर्थ में परिवर्तन हो जायेगा।

'घरनी'का अर्थ गृहिणी होगा तो 'धरनी' का अर्थ धरती होगा। कुछ वर्णों का मानक रूप बिल्कुल बदल गया जैसे रव, रा को हटाकर ख, ण को मानक रूप दिया गया है, लेकिन आज भी ये वर्ण व्यवहार में चल रहे हैं। वर्तमान में भाषा वर्णों की बनावट चलत या गतिशैली ने बदल दी है। जो मानक रूप निर्धारित है उससे बदलकर व्यक्ति अपनी सुलभता या सहजता से वर्ण लिखता है। चलत या शीघ्रता की लिपि भ्रम उत्पन्न कर देती है जिससे अर्थ का अनर्थ होने की सम्भावना रहती है। वर्णमाला का प्रत्येक वर्णमानक रूप में है जिसका उच्चारण और लेखन नियमानुसार होना चाहिए। हिन्दी के मानक स्वरूप का चित्रण निम्नांकित है–

हिन्दी का मानक रूप

1. मानक हिन्दी वर्णमाला :

स्वर :– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

मात्राएँ :– ा ि ी ु ू ृ ॅ ॆ े ै

अनुस्वारः– अं (ं)
विसर्ग :– अः (:)
अनुनासिकता चिह्न :– ँ
व्यंजन :– क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह
संयुक्त व्यंजन :– क्ष त्र ज्ञ श्र
हल् चिह्न : ्
गृहीत ध्वनि : ऑ (ॉ) क़ ख़ ग़ ज़ फ़
देवनागरी अंक : १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
भारतीय अंको का अन्तर्राष्ट्रीय रूपः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

1. संयुक्त वर्ण
   (क) खड़ी पाई वाले व्यंजनों की खड़ी पाई को हटाकर ही संयुक्त रूप बनाया जाये।
   यथाः ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, नगण्य, कुत्ता, ध्वनि, प्यास, सभ्य, व्यास, श्लोक, स्वीकृति आदि।
   (ख) अन्य व्यंजन
   (अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर।
   यथा : संयुक्त, पक्का, आदि की तरह बनाए जाए न कि संयुक्त, पक्का,।
   (आ) छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ।
   यथा :– लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा
2. विभक्ति चिह्न :– सर्वनामों को शब्दों में मिलाकर लिखें जैसे :– उसने, उसको, उससे आदि (उस ने, उस को, उस से नहीं लिखें)
3. क्रियापद : संयुक्त क्रियाओं में सभी क्रियाएँ पृथक–पृथक लिखी जाएँ, जैसे– पढ़ा करता है, जाया करता है, पढ़ा करता था, खेला करता था। आदि।
4. हाइफ़नः– द्वन्द्व समास में पदों के बीच जैसे– माता–पिता, शिव–पार्वती–संवाद
5. किए–किये, नई–नयी, हुआ–हुवा आदि में से पहले स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए।
   जैसे :–दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि।
   जहाँ 'य' श्रुतिमूलक शब्द का ही मूल तत्व है वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे– स्थायी, दायित्व आदि। यहाँ स्थाई, दाइत्व नहीं लिखा जायेगा।
6. अनुस्वार (ं)तथा अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।
7. विदेशी ध्वनियाँ :– (i) अरबी–फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिन्दी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिन्दी ध्वनियों में रूपान्तर हो चुका है, जैसे– कलम, किला, दाग, आदि। (क़लम, क़िला, दाग़, नहीं) परन्तु जहाँ शुद्ध–विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट है वहाँ यथा स्थान नुक्ता लगाया जाए।
   जैसे :– ख़ाना, हाइफ़न आदि।
   (ii) अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचन्द्र का प्रयोग किया जाए। जैसे– डॉक्टर, कॉफी आदि।

8. हल् चिह्न :– संस्कृत शब्दों में ही प्रचलित है लेकिन हिन्दी में वैयक्तिक उच्चारण के कारण अन्तर आ जाता है। जैसे–लिखित रूप –महान, विद्यमान शब्द के अन्त में 'न' का हलन्त चिह्न लुप्त हो चुका है।
9. संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे –'दुःखानुभूति' में। यदि तद्भव रूप में लिखा जाए तो विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा जैसे– दुख–सुख के साथी।
10. अन्य नियम :
    (क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
    (ख) फुलस्टॉप को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ जो अंग्रेजी में प्रचलित है, यथा –
    (, ; ? ! : =)
    (ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

3. हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता :–

हिन्दी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'ए वेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिन्दी' में भी इस एकरूपता का अभाव था। इसका समाधान करते हुए निदेशालय में 5–6 फरवरी 1980 को भाषा वैज्ञानिकों की बैठक हुई जिसमें एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका मानक स्वरूप निर्धारित किया गया।

4. मानक हिन्दी की शब्दावली :–

किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उसका 'शब्द भण्डार' अथवा 'शब्दावली' कहा जाता है। शब्द अपने–आप में भाषा नहीं होते परन्तु उनके अभाव में भाषा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्दों को पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और निर्मित।

(क) **तत्सम शब्द –** संस्कृत शब्दों के समान हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे –क्रिया, पत्नी, कर्म आदि।
(ख) **तद्भव शब्द –** वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं परन्तु जिनका रूप परिवर्तित हो चुका, जैसे – दूध (दुग्ध) दही (दधि) काम (कर्म) आदि।
(ग) **देशज –** देश की अन्य भाषाओं से आये हैं इन्हें प्रादेशिक शब्द भी कहते हैं। जैसे – गरबा (गुजराती) रसगुल्ला (बंगाली)
(घ) **विदेशी–** विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द इनमें से कई शब्द सीधे हिन्दी में आ गये हैं और कई अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कुछ अपने शुद्ध तत्सम रूप में आ गये हैं। जैसे – अंग्रेजी के– मोटर कार, इंजन, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, स्टेशन, रोड़, रेल, टिकिट, हॉस्पीटल आदि शब्दों को हिन्दी में ले लिया गया है। इसी तरह अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन , इटेलियन, जापानी, रूसी, चीनी, अफ्रीकी आदि विदेशियों के शब्दों को हिन्दी में स्थान मिला है।
(ङ) **निर्मित शब्द –** हिन्दी विकासशील भाषा है और सभी विकासशील भाषाओं में नये शब्द निर्मित होते रहते हैं। जैसे –'रेलमंत्री' रेल अंग्रेजी का तो मन्त्री संस्कृत का शब्द है। 'डाकखाना' डाक हिन्दी का, खाना फारसी का। इसी तरह 'डाकबंगला' डाक हिन्दी का तथा बंगला अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह अनुवाद से भी शब्द निर्मित किये जाते हैं। जैसे Cold war के आधार पर 'शीतयुद्ध' शब्द का निर्माण किया। अतएव हिन्दी शब्दावली इसी तरह निरन्तर बढ़ती चली जा रही है।
सीमा और सम्भावनाएँ– हिन्दी के व्यावहारिक और मानक रूपों की अपनी सीमाएँ हैं क्योंकि भौगोलिक परिवेश से इनमें अन्तर आना स्वाभाविक है। वर्णों और शब्दों के उच्चारण में भिन्नता तथा वर्तनीगत अशुद्धियों से अर्थ परिवर्तन होने की सम्भावनाएँ बनी रहती है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा की आवश्यकता है लेकिन गुजराती में शिरोरेखा नहीं है जबकि अन्य सब बातें देवनागरी लिपि से साम्य रखती है। यह लिपि और भाषा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में आकर उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिन्दी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते–होते उसका यथासमय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप विकसित हो रहा है। यद्यपि यह सही है कि एक विस्तृत भूखण्ड में और बहुभाषी समाज के बीच व्यवहृत किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारणगत गठन में अनेकरूपता मिलना स्वाभाविक है, उसे व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ा नहीं जा सकता ; उसके प्रयोगकर्ताओं को किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों, एक विशेष रूप में प्रयुक्त करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता ; ऐसे शब्दरूपों के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति का निर्णय दे देने के बाद भी मतभेद बना रहता है। जो भी हो आज कम से कम लिपि के लेखन, टंकण के क्षेत्र में हिन्दी भाषा में एकरूपता और मानकीकरण की सदैव आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, संस्करण–1989, किताब महल, इलाहावाद
2. हिन्दी भाषा उद्भव और विकास : डॉ. हेतु भारद्वाज एवं डॉ. रमेश रावत, पृ.178, संस्करण–2008 पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
3. देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, संपादन–नरेन्द्र व्यास पृ.3, संस्करण–1983, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।